2021 का विधेयक संख्यांक 43-सी

मध्यकता विधेयक, 2023

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

अध्याय 2

लागू होना

2. लागू होना।
3. परिभाषाएं।

अध्याय 3

मध्यकता

4. मध्यकता करार।
5. मुकदमा–पूर्व मध्यकता।
6. मामले, जो मध्यकता के लिए उपयुक्त न हों।
7. न्यायालय या अधिकरण की पक्षकारों को मध्यकता के लिए निर्दिष्ट करने की शक्ति।

अध्याय 4

मध्यक

8. मध्यकों की नियुक्ति।
9. अधिमान।
10. हित का विरोध और प्रकटीकरण।
11. मध्यक के आदेश का पर्यवसान।
12. मध्यक का बदला जाना।

अध्याय 5

मध्यकता प्रक्रिया

13. मध्यकता के लिए क्षेत्रीय अधिकार।
14. मध्यकता का प्रारंभ।
15. मध्यकता का संचालन।
16. मध्यक की भूमिका।
17. अन्य कार्रवाई में मध्यक की भूमिका।
18. मध्यस्थ को पूरा करने के लिए समय–सीमा।
19. मध्यकता समझौता करार।
20. मध्यकता समझौता करार रजिस्ट्रीकरण।
21. निपटारा नहीं किए जाने पर रिपोर्ट।
22. गोपनीयता।

खंड

23. प्रकटन के विरुद्ध ग्राह्यता विशेषाधिकार ।
24. मध्यकता का समापन ।
25. मध्यकता का खर्च ।
26. लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत की कार्यवाही प्रभावित न होना ।

अध्याय 6

मध्यकता निपटारा करार का प्रवर्तन

27. मध्यकता निपटारा करार का प्रवर्तन ।
28. मध्यकता निपटारा करार पर आक्षेप ।
29. परिसीमा ।

अध्याय 7

आनलाइन मध्यकता

30. आनलाइन मध्यकता ।

अध्याय 8

भारतीय मध्यकता परिषद्

31. मध्यकता परिषद् का स्थापन और निगमन ।
32. परिषद् की संरचना ।
33. रिक्तियों, आदि, से परिषद् की कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना ।
34. पदत्याग ।
35. पद से हटाना ।
36. विशेषज्ञों की नियुक्ति और उनकी समितियों का गठन ।
37. परिषद् का सचिवालय और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
38. परिषद् के कर्तव्य और कृत्य ।
39. मानीटरी और रिपोर्ट करना ।

अध्याय 9

मध्यकता सेवा प्रदाता और मध्यकता संस्थान

40. मध्यकता सेवा प्रदाता ।
41. मध्यकता सेवा प्रदाताओं के कृत्य ।
42. मध्यकता संस्थान ।

अध्याय 10

सामुदायिक मध्यकता

43. सामुदायिक मध्यकता ।
44. सामुदायिक मध्यकता की प्रक्रिया ।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

45. मध्यकता निधि ।
46. लेखे और संपरीक्षा ।
47. केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

खंड

48. स्कीम या दिशानिर्देश विरचित करने की शक्ति ।
49. मध्यकता समझौता करार, जहां सरकार या उसका कोई अस्तित्व, अभिकरण, आदि एक पक्षकार है ।
50. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
51. नियम बनाने की शक्ति ।
52. विनियम बनाने की शक्ति ।
53. रखा जाना ।
54. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
55. अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों में अंतर्विष्ट मध्यकता या सुलह पर अध्यारोही प्रभाव होना ।
56. अधिनियम का लंबित कार्यवाहियों को लागू न होना ।
57. अस्थायी उपबंध ।
58. 1872 के अधिनियम संख्यांक 9 का संशोधन ।
59. 1908 के अधिनियम संख्यांक 5 का संशोधन ।
60. 1987 के अधिनियम संख्यांक 39 का संशोधन ।
61. 1996 के अधिनियम संख्यांक 26 का संशोधन ।
62. 2006 के अधिनियम संख्यांक 27 का संशोधन ।
63. 2013 के अधिनियम संख्यांक 18 का संशोधन ।
64. 2016 के अधिनियम संख्यांक 4 का संशोधन ।
65. 2019 के अधिनियम संख्यांक 35 का संशोधन ।

पहली अनुसूची ।
दूसरी अनुसूची ।
तीसरी अनुसूची ।
चौथी अनुसूची ।
पांचवीं अनुसूची
छठी अनुसूची ।
सातवीं अनुसूची ।
आठवीं अनुसूची ।
नवीं अनुसूची ।
दसवीं अनुसूची ।

[राज्य सभा द्वारा 1 अगस्त, 2023 को पारित रूप में]

2021 का विधेयक संख्यांक 43-सी

[दि मीडिएशन बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

मध्यकता विधेयक, 2023

वाणिज्यिक या उससे भिन्न विवादों के समाधान के लिए, विशिष्टतया संस्थागत मध्यकता का उन्नयन करने, प्रोत्साहन देने और सुकर बनाने, मध्यकता किए गए समझौता करारों को प्रवृत्त करने, मध्यस्थों के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक निकाय का उपबंध करने, समुदाय मध्यकता को प्रोत्साहित करने और किसी प्रतिग्राह्य तथा लागत की प्रभावी प्रक्रिया के रूप में आनलाइन मध्यकता करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यकता अधिनियम, 2023 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत

करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवर्तन में आने के लिए निर्देश है ।

अध्याय 2

लागू होना

लागू होना ।

2. (1) यह अधिनियम वहां लागू होगा, जहां मध्यकता भारत में संचालित की जाती है, और—

(i) सभी या दोनों पक्षकार भारत में साधारणतया निवास करते हैं या निगमित हैं या कारबार के स्थान हैं ; या

(ii) मध्यकता करार यह उपबंध करता है कि किसी विवाद का समाधान इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ; या

(iii) जहां कोई अंतरराष्ट्रीय मध्यकता है ; या

(iv) जहां विवाद के पक्षकारों में से एक, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या अभिकरण, लोक निकाय, निगम या स्थानीय निकाय हैं, जिसके अंतर्गत ऐसी सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन इकाइयां भी हैं और जहां विषय वस्तु, वाणिज्य विवाद से संबंधित है ; या

(v) किसी अन्य प्रकार का विवाद, जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन मध्यकता के माध्यम से समाधान के लिए समुचित समझा जाए और अधिसूचित किया जाए, जहां ऐसी सरकारें या अभिकरण, लोक निकाय, निगम और स्थानीय निकाय एक पक्षकार हैं जिसके अंतर्गत उनके नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन इकाइयां भी हैं ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां विवाद का कोई एक पक्षकार केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या अभिकरण, लोक निकाय, निगम और स्थानीय निकाय हैं जिसमें ऐसी सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन कोई इकाई सम्मिलित है सिवाय जहां विषय किसी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित हो ।

परंतु कोई बात केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को यह अधिसूचित करने से निवारित नहीं करेगा कि इस प्रकार के विवाद, इस अधिनियम के अधीन मध्यकता के माध्यम से समाधान करने के लिए ऐसी सरकार के लिए समुचित प्रतीत होते हैं, जहां ऐसी सरकार या अभिकरण, लोक निकाय, निगम और स्थानीय निकाय जिसमें उसके द्वारा नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन कोई इकाई भी सम्मिलित, एक पक्षकार है ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "वाणिज्यिक विवाद" से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथा परिभाषित कोई विवाद अभिप्रेत है ; 2016 का 4

(ख) "सामुदाय मध्यक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अध्याय 10 के प्रयोजनों के लिए मध्यक के रूप में पैनलीकृत किया गया है ;

(ग) "परिषद्" से धारा 33 के अधीन स्थापित भारत का मध्यकता परिषद्

अभिप्रेत है ;

(घ) "न्यायालय" से भारत में धनीय और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला और मध्यकता की विषय-वस्तु को विरचित करने वाले विवादों के विनिश्चय के लिए अधिकारिता रखने वाला सक्षम न्यायालय अभिप्रेत है, यदि किसी वाद या कार्यवाही की विषय-वस्तु एक समान हो ;

2016 का 4

(ङ) "न्यायालय उपाबद्ध मध्यकता" से ऐसी मध्यकता अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा स्थापित मध्यकता केंद्रों पर संचालित मुकदमा पूर्व मध्यकता सम्मिलित है ;

(च) "संस्थागत मध्यकता" से किसी मध्यकता सेवा प्रदाता के संरक्षण के अधीन संचालित मध्यकता अभिप्रेत है ;

(छ) "अंतरराष्ट्रीय मध्यकता" से इस अधिनियम के अधीन की गई कोई मध्यकता अभिप्रेत है और भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संविदात्मक या अन्य किसी विधिक संबंध से उद्भूत किसी वाणिज्यिक विवाद से संबंध रखता है और जहां कम से कम एक पक्षकार,—

(i) ऐसा व्यष्टिक है, जो भारत से भिन्न किसी देश का राष्ट्रिक है या साधारणतया निवास करता है ; या

(ii) एक निगमित निकाय है, जिसके अंतर्गत भारत के बाहर कारबार के उसके स्थान के साथ किसी प्रकृति की सीमित दायित्व भागीदारी है ; या

(iii) कोई संगम या व्यष्टियों का निकाय है, जिसका कारबार का स्थान भारत के बाहर है ; या

(iv) विदेश की कोई सरकार ;

(ज) "मध्यकता" में ऐसी प्रक्रिया, जिसे चाहे मध्यकता, मुकदमा-पूर्व मध्यकता, आनलाइन मध्यकता, समुदाय मध्यकता, सुलह या समान महत्व के किसी पद द्वारा निर्दिष्ट की गई प्रकिया, जहां पक्षकार, तीसरे व्यक्ति या मध्यक के रूप में निर्दिष्ट व्यक्ति, जो विवाद के पक्षकारों के ऊपर किसी निपटारे को अधिरोपित करने का प्राधिकार नहीं रखता है, की सहायता से अपने विवादों के सौहार्द्रपूर्ण समझौते तक पहुंचने का प्रयास करते हैं सम्मिलित हैं ।

(झ) "मध्यस्थ" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो मध्यकता करने के लिए पक्षकार द्वारा या मध्यकता सेवा प्रदाता द्वारा के माध्यम से एक मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो परिषद् के साथ मध्यस्थ के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

स्पष्टीकरण—जहां किसी मध्यकता के लिए एक से अधिक मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं, तो इस अधिनियम के अधीन किसी मध्यस्थ के लिए निर्देश को सभी मध्यस्थों के प्रति निर्देश समझा जाएगा ;

(ञ) "मध्यकता करार" से धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई मध्यकता करार अभिप्रेत है ;

(ट) "मध्यकता संसूचना" से ऐसी संसूचना अभिप्रेत है, जो इलेक्ट्रानिक रूप से या उससे भिन्न रूप में दी गई जो—

(i) कोई चीज कही गई है या की गई है ;

(ii) कोई दस्तावेज ; या

(iii) उपलब्ध कराई गई किसी सूचना के माध्यम से,

मध्यकता के अनुक्रम में या प्रयोजन के लिए या उससे संबंधित हैं और इसके अंतर्गत कोई मध्यकता करार या कोई मध्यकता समझौता करार सम्मिलित है ;

(ठ) "मध्यकता संस्थान" से कोई निकाय या संगठन अभिप्रेत है, जो प्रशिक्षण, सतत शिक्षा और मध्यकता का प्रमाणन का उपबंध करता है और इस अधिनियम के अधीन अन्य ऐसे कार्यों को कार्यान्वित करता है ;

(ड) "मध्यकता सेवा प्रदाता" से धारा 41 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट मध्यकता सेवा प्रदाता अभिप्रेत है ;

स्पष्टीकरण 1—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, मध्यकता सेवा प्रदाता के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित कोई प्राधिकरण या किसी न्यायालय अधिकरण या ऐसे अन्य फोरम, से उपाबद्ध मध्यकता केंद्र, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, सम्मिलित हैं ; 1987 का 39

स्पष्टीकरण 2—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित कोई प्राधिकरण या किसी न्यायालय या अधिकरण से उपाबद्ध मध्यकता केंद्र परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त मध्यकता सेवा प्रदाता समझा जाएगा ; 1987 का 39

(ढ) "मध्यकता समझौता करार" से धारा 19 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट मध्यकता समझौता करार अभिप्रेत है ;

(ण) "सदस्य" से परिषद् का पूर्णकालिक या अल्पकालिक सदस्य अभिप्रेत है और उसमें अध्यक्ष सम्मिलित है ;

(त) "अधिसूचना" से ऐसी अधिसूचना अभिप्रेत है, जो राजपत्र में प्रकाशित की गई है और इसके सजातीय अर्थ तथा व्याकरणिक रूपभेद के साथ "अधिसूचित" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(थ) "आनलाइन मध्यकता" से धारा 32 में निर्दिष्ट आनलाइन मध्यकता अभिप्रेत है ;

(द) "सहभागी" से पक्षकारों से भिन्न ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो मध्यकता में भाग लेते हैं और इसके अंतर्गत सलाहकार, वकील, परामर्शी और तकनीकी विशेषज्ञ और प्रेक्षक भी सम्मिलित हैं ;

(ध) "पक्षकार" से मध्यकता करार या मध्यकता कार्रवाई का कोई पक्षकार अभिप्रेत है, जिसका विवाद के समाधान के लिए करार या सहमति आवश्यक है और इसके अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं ;

(न) "कारबार का स्थान" में निम्नलिखित सम्मिलित है—

(क) वह स्थान, जहां से कारबार साधारणतया किया जाता है और उसमें भांडागार, गोदाम और कोई अन्य स्थान, जहां पक्षकार माल का भंडारण करता है माल या सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति करता है या प्राप्त करता है, सम्मिलित है ; या

(ख) वह स्थान जहां पक्षकार अपनी लेखाबहियों का रखरखाव करता है ;

(ग) वह स्थान जहां पक्षकार, चाहे किसी नाम से ज्ञात, किसी अभिकर्ता, के माध्यम से कारबार करता है ;

(प) "मुकदमा-पूर्व मध्यकता" से मध्यकता करने की ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन किसी न्यायालय या अधिसूचित अधिकरण के समक्ष उसके संबंध में सिविल या वाणिज्यिक प्रकृति का कोई वाद या कार्यवाही फाइल करने के पूर्व विवादों के निपटारे के लिए धारा 6 के अधीन यथा उपबंधित है ;

(फ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ब) "अनुसूची" से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(भ) आनलाइन मध्यकता के संदर्भ में "सुरक्षित इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 15 में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर अभिप्रेत है ;

2000 का 21

(म) "विनिर्दिष्ट" से इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है ।

अध्याय 3

मध्यकता

मध्यकता करार ;

4. (1) कोई मध्यकता करार, पक्षकारों द्वारा या उनके बीच लिखित में किया जाएगा और उनके माध्यम से किसी के द्वारा दावा किए गए सभी या किन्हीं विवादों को मध्यकता के लिए प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों के बीच उद्भूत हुआ है या उद्भूत हो सकेगा ।

(2) कोई मध्यकता करार, किसी संविदा में या किसी पृथक् करार के रूप में किसी मध्यकता खंड के रूप में हो सकेगा ।

(3) मध्यकता करार लिखित में होगा, यदि यह निम्नलिखित को अंतर्विष्ट करता है या अभिलिखित करता है :—

(क) पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित कोई दस्तावेज ;

2000 का 21

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन यथा उपबंधित इलेक्ट्रानिक प्ररूप के माध्यम से संसूचना या पत्रों का विनिमय ;

(ग) किसी वाद में कोई अभिवचन या कोई अन्य कार्यवाही, जिसमें किसी विद्यमान मध्यकता करार का किसी पक्षकार द्वारा अभिकथित किया जाता है और अन्य के द्वारा इंकार नहीं किया जाता है ।

(4) किसी मध्यकता खंड में अंतर्विष्ट किसी करार में निर्देश, एक मध्यकता करार गठित करेगा, यदि करार लिखित में है और यह निर्देश करार के भाग के रूप में मध्यकता खंड को बनाने के लिए है ।

(5) पक्षकार, किसी करार के अधीन उनके बीच पैदा हुए किसी विवाद को मध्यकता को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो सकेंगे, चाहे विवाद के उद्भूत होने के पूर्व या उसके तत्पश्चात् किया गया है ।

(6) अंतरराष्ट्रीय मध्यकता की दशा में, कोई मध्यकता करार, धारा 3 के खंड (क) में निर्दिष्ट वाणिज्यिक विवादों के विषयों में समाधान के लिए किसी करार के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा ।

मुकदमा-पूर्व मध्यकता ।

5. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कोई मध्यकता करार विद्यमान है या नहीं, पक्षकार किसी न्यायालय में सिविल या वाणिज्यिक प्रकृति के वाद या कार्यवाही फाइल करने के पूर्व इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मुकदमा-पूर्व मध्यकता द्वारा विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छया और आपसी सहमति से कदम उठा सकेगा :

परंतु विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के मामलों में मुकदमा-पूर्व मध्यकता, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12क के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी । 2016 का 4

(2) उपधारा (1) का उपबंध, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकरणों पर लागू होगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि पक्षकारों के बीच करार न हो जाए, मध्यस्थ को,—

(i) परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत करना ; या

(ii) मध्यकता केंद्र से उपाबद्ध कोई न्यायालय द्वारा पैनलित करना ; या

(iii) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित किसी प्राधिकरण द्वारा पैनलित करना ; या 1987 का 39

(iv) इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त किसी मध्यकता सेवा प्रदाता द्वारा पैनलित करना,

जो मुकदमा-पूर्व मध्यकता संचालित करेंगे ।

(4) उपधारा (3) के खंड (ii) और (iii) के अधीन मुकदमा-पूर्व मध्यकता के संचालन के लिए कोई पक्षकार, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित किसी प्राधिकरण द्वारा, इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किसी व्यक्ति के लिए अनुरोध कर सकेगा । 1987 का 39

(5) मध्यकता केन्द्र से संलग्न न्यायालय और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित कोई प्राधिकरण मुकदमा-पूर्व मध्यकता के प्रयोजनों के लिए मध्यस्थों का एक पैनल बनाएगा । 1987 का 39

(6) उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी दुर्घटना के उद्भूत होने पर प्रतिकर के लिए कोई आवेदन दावा अधिकरण के समक्ष किया जाता है, यदि उस अधिनियम की धारा 149 में यथा उपबंधित समझौता पक्षकारों के बीच नहीं हो पाता है, तब दावा अधिकरण इस अधिनियम के अधीन किसी मध्यस्थ या मध्यकता सेवा प्रदाता को मध्यकता के लिए पक्षकारों को निर्दिष्ट करेगा । 1988 का 59

(7) जहां पक्षकार उपधारा (6) के अधीन किसी समझौता करार पर पहुंचते हैं तो इसे दावा अधिकरण के समक्ष उसके विचार के लिए रखा जाएगा ।

(8) यदि उपधारा (6) के अधीन पक्षकार समझौता करार नहीं कर पाते हैं, तो मध्यस्थ द्वारा तैयार की गई अनिपटारा की रिपोर्ट, दावा अधिकरण को भेजी

जाएगी, जो न्यायनिर्णयन हेतु मध्यकता के लिए विषय को निर्दिष्ट किया गया है ।

6. (1) इस अधिनियम के अधीन कोई मध्यकता, पहली अनुसूची के अधीन इंगित सूची में अंतर्विष्ट किसी विवाद या विषय के समाधान के लिए संचालित नहीं की जाएगी : मामले, जो मध्यकता के लिए उपयुक्त न हों ।

परंतु इसमें अंतर्विष्ट कोई बात, किसी न्यायालय को यदि समुचित समझे शमनीय अपराधों, जिसके अंतर्गत वैवाहिक अपराध, जो शमनीय हैं और मध्यकता के पक्षकारों के मध्य लंबित हैं, भी हैं, से संबंधित किन्हीं मध्यकता विवादों को निर्दिष्ट करने से निवारित नहीं करेगी:

परंतु यह और कि ऐसे मध्यकता के परिणाम को धारा 27 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट न्यायालय की कोई निर्णय या डिक्री नहीं समझा जाएगा और तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार न्यायालय द्वारा आगे विचार किया जाएगा ।

(2) यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तो अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची को संशोधित कर सकेगी ।

7. (1) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन कोई समझौता नहीं होने के होते हुए भी न्यायालय या अधिकरण प्रक्रिया के किसी प्रक्रम पर मध्यकता करने के लिए पक्षकारों को भेज सकेगा । न्यायालय या अधिकरण की पक्षकारों को मध्यकता के लिए निर्दिष्ट करने की शक्ति ।

(2) यदि न्यायालय या अधिकरण पक्षकारों को मध्यकता के लिए यह निर्दिष्ट करता है कि वह किसी पक्षकार के हित को संरक्षित करने के लिए, यदि वह समुचित समझे, उचित अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा ।

(3) पक्षकार उपधारा (1) के अधीन किसी निर्देश के अनुसरण में मध्यकता में कोई समझौता करने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा ।

अध्याय 4

मध्यक

8. (1) जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति मध्यस्थ नियुक्त हो सकेगा : मध्यकों की नियुक्ति ।

परंतु किसी विदेशी राष्ट्रीयता का मध्यस्थ ऐसी अर्हता, अनुभव और प्रत्यायन रखेगा, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) पक्षकार, मध्यस्थ के नाम पर सहमत होने के लिए और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र होंगे ।

(3) यदि पक्षकार उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विषय पर सहमत नहीं होते हैं, तो मध्यकता आरंभ करने की वांछा करने वाला पक्षकार किसी मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थ सेवा प्रदाता को आवेदन करेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर, मध्यक सेवा प्रदाता सात दिन के भीतर,—

(i) पक्षकारों द्वारा यथा सहमत मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा ; या

(ii) पक्षकारों के मामले में, जो मध्यस्थ या मध्यस्थों के रूप में नियुक्ति करने के लिए करार करने में असमर्थ हैं या उनके द्वारा सहमत मध्यस्थ कार्य करने से इंकार कर देते हैं, तो उनकी सहमति से उनके द्वारा बनाए गए पैनल से कोई मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा ।

(5) उपधारा (4) के खंड (i) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति, ऐसे नियुक्ति की संसूचना की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर अपनी रजामंदी या अन्यथा संसूचित करेगा ।

अधिमान।

9. मध्यकता सेवा प्रदाता जब कि उसके द्वारा रखे गए मध्यस्थों के पैनल से किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जा रही हो, विवाद की विषयबस्तु का समाधान करने के लिए उनकी उपयुक्तता और पक्षकारों के दृष्टिकोण पर विचार करेगा।

हित का विरोध और प्रकटीकरण।

10. (1) जब कोई व्यक्ति मध्यक के रूप में नियुक्त किया गया हो तो वह व्यक्ति, मध्यकता के प्रारंभ करने से पहले किन्ही परिस्थितियों और संभाव्य परिस्थितियों, कार्मिक, व्यावसायिक या वित्तीय या जो मध्यकता प्रक्रिया के संचालन में स्वतंत्र या निष्पक्षता पर ऐसे मध्यस्थों के रूप में न्यायोचित संदेह उत्पन्न होना संभाव्य है, के बारे में पक्षकारों को लिखित में प्रकट करेगा।

(2) मध्यकता प्रक्रिया के दौरान, मध्यक बिना किसी देरी के उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट किन्हीं हितों के विरोध को लिखित में जो नए उत्पन्न हुए हैं या उसके ज्ञान में आए हैं ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रकटीकरण पर पक्षकारों के पास किसी आपत्ति को अधित्यजन करने का विकल्प होगा यदि उनमें से सभी लिखित में वैसी ही अभिव्यक्ति करते हैं और इसका अर्थ यह लगाया जाएगा कि उन्हीं मध्यस्थों के साथ जारी रखने के लिए पक्षकारों की सहमति है और यदि वह उसे जारी रखने के लिए इच्छा करते हैं ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रकटीकरण पर यदि पक्षकार मध्यक को बदलने के लिए सहमत हैं तब ऐसे मामले में,--

(i) संस्थागत मध्यकता, पक्षकार मध्यक की आज्ञा का पर्यवसान करने के लिए मध्यकता सेवा प्रदाता को आवेदन करेंगे; या

(ii) संस्थागत मध्यकता के सिवाय मध्यकता, ऐसे पक्षकार मध्यक की आज्ञा का पर्यवसान करेंगे।

मध्यक के आदेश का पर्यवसान।

11. कोई मध्यकता सेवा प्रदाता मध्यक के आदेश का पर्यवसान कर सकेगा,--

(i) धारा 10 की उपधारा (4) के खंड (i) के अधीन पक्षकारों से आवेदन के प्राप्त होने पर; या

(ii) भागीदारों या किसी अन्य व्यक्ति से हितों के विरोध के मामले में मध्यक के शामिल होने के बारे में सूचना की प्राप्ति होने पर; या

(iii) जहां उसने किसी कारण से स्वयं को पद से हटा लिया है :

परन्तु खंड (ii) के अधीन पर्यवसान पर केवल तभी प्रभाव होगा यदि मध्यक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् मध्यकता सेवा प्रदाता यह पाता है कि मध्यक के रूप में स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह है और वही पक्षकारों के ज्ञान में भी लाया गया है और दोनों में से कोई पक्षकार मध्यक को बदलने के लिए सहमत है।

मध्यक का बदला जाना।

12. मध्यक के पर्यवसान पर,--

(i) धारा 10 की उपधारा (4) के खंड (ii) के अधीन तदर्थ मध्यकता के मामले में पक्षकार पारस्परिक सहमति द्वारा, ऐसे पर्यवसान से सात दिनों की अवधि के भीतर अन्य मध्यक को नियुक्त कर सकेंगें; और

(ii) धारा 11 के अधीन संस्थागत मध्यकता के मामले में मध्यकता सेवा प्रदाता ऐसे पर्यवसान से सात दिनों के भीतर उसके द्वारा रखे गए पैनल से अन्य मध्यक नियुक्त करेगा।

अध्याय 5

मध्यकता प्रक्रिया

मध्यकता के लिए क्षेत्रीय अधिकार।

13. इस अधिनियम के अधीन मध्यकता विवाद की विषयवस्तु का विनिश्चय करने के लिए सक्षम अधिकारिता के न्यायालय या अधिकरण की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर होगी :

परन्तु पक्षकारों की पारस्परिक सहमति पर मध्यकता न्यायालय या अधिकरण की क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान पर या आनलाइन मध्यकता के द्वारा संचालित की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण—संदेहों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि जहां पक्षकार प्रवर्तन, आक्षेप और मध्यकता समझौता करार के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान पर या आनलाइन मध्यकता के संचालन के लिए सहमत है, तो उसे न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता या सक्षम अधिकारिता वाले अधिकरण के भीतर किया हुआ समझा जाएगा ।

मध्यकता का प्रारंभ।

14. विशिष्ट विवाद के संबंध में मध्यकता कार्यवाही प्रारंभ हुई समझी जाएगी—

(क) जहां पक्षकारों के मध्य विवाद को मध्यकता के माध्यम से निपटाने के लिए कोई विद्यमान करार है, उस तारीख जिसको मध्यकता प्रारंभ करने वाले पक्षकार से किसी पक्षकार को ऐसे विवाद को मध्यकता के लिए निर्दिष्ट करने की सूचना प्राप्त होती है ; या

(ख) अन्य मामले में—

(i) जहां उनके बीच विवादों की मध्यकता और समझौते के लिए उनकी पसंद के मध्यस्थ को नियुक्त करने के लिए पक्षों में करार है, उस दिन जिस पर उक्त मध्यक नियुक्ति के लिए सहमति प्रदान करता है; या

(ii) जहां पक्षों में से कोई एक मध्यकता के माध्यम से विवादों के समझौते के लिए मध्यक सेवा प्रदाता को आवेदन करता है ।

मध्यकता का संचालन।

15. (1) मध्यकता प्रक्रिया ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, संचालित की जाएगी ।

(2) मध्यक, पक्षकारों की उनके विवाद के सौहार्दपूर्ण निपटारे तक पहुंच में उनके प्रयास में स्वतंत्र, प्राकृतिक और पक्षपात रहित रीति में सहायता करेगा ।

(3) मध्यक, सभी समय वस्तुनिष्ठता और ऋजुता के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और पक्षकारों की स्वेच्छा, विश्वसनीयता और स्वत: विनिश्चय का और यथा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक और सदाचारिक आचरण के लिए मानकों का संरक्षण करेगा, जो विहित किए जाएं ।

(4) मध्यकता प्रक्रिया में मध्यक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपाय करेगा जो समुचित विचारित किए जाएं जिसमें पक्षकारों या भागीदारों,

संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से बैठक करना, जैसे मध्यक द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक उचित समझे, मध्यकता की सुविधा के लिए दोनों अनुक्रम और मध्यकता के दौरान आनुक्रमिक रूप से प्रक्रिया का संचालन करना और इसकी एकाग्रता को बनाए रखना शामिल है।

(5) मध्यक सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 द्वारा बाध्य नहीं होंगे। 1908 का 5 1872 का 1

(6) मध्यक, पक्षकारों की सहमति से मध्यकता प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली भाषा या भाषाओं का विनिश्चय करेगा।

मध्यक की भूमिका।

16. (1) मध्यक, पक्षकारों द्वारा विवाद के स्वैच्छिक समझौते को सुकर बनाने के लिए प्रयास करेगा और उनके द्वारा जहां तक वे सहमत है, विचार को एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को संसूचित करेगा, मुद्दों की पहचान करने, बेहतर समझ को बढ़ाने, पूर्विकता को स्पष्ट करने, समझौते के क्षेत्र की खोज करने और शीघ्रतापूर्वक विवाद के समाधान के प्रयास में विकल्पों को बनाने में उनकी सहायता करेगा, जोर दिया गया है कि यह पक्षकारों का उत्तरदायित्व होगा कि उनके दावों के संबंध में निर्णय ले ।

(2) पक्षकार अभिव्यक्त रूप से सूचित करेंगे कि मध्यक विवाद/विवादों के समाधान पर विनिश्चय पर पहुंचने को सुकर बनाएगा और वह कोई समझौता अधिरोपित नहीं करेगा और न ही कोई आश्वासन देंगे कि मध्यकता समझौते का परिणाम होगी।

अन्य कार्रवाई में मध्यक की भूमिका ।

17. मध्यक,—

(क) विवाद के संबंध में किसी माध्यस्थम् या न्यायिक कार्यवाही में मध्यकता प्रक्रिया की विषयवस्तु है । मध्यक के रूप में या पक्षकारों प्रतिनिधि या कांउसिल के रूप में कार्य नहीं करेगा ;

(ख) पक्षकारों द्वारा किसी माध्यस्थम् या न्यायिक कार्यवाही में साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जाएगा ।

मध्यस्थ को पूरा करने के लिए समय-सीमा।

18. (1) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन मध्यकता, मध्यक के समक्ष पहली उपस्थिति के लिए नियत एक सौ बीस दिनों की अवधि भी पूरी की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन उल्लिखित मध्यकता के लिए अवधि पक्षकारों द्वारा सहमति के अनुसार अवधि आगे के लिए बढ़ाई जा सकेगी, लेकिन साठ दिनों से अधिक नहीं होगी ।

मध्यकता समझौता करार ।

19. (1) मध्यकता समझौता करार में मध्यकता के परिणामस्वरूप किन्हीं या सभी पक्षकारों के मध्य लिखित करार है और उसमें ऐसे पक्षकारों के मध्य किन्हीं या सभी विवादों का समझौता और मध्यक द्वारा अधिप्रमाणन सम्मिलित है :

परंतु मध्यकता समझौता करार के निबंधन मध्यकता के लिए निर्दिष्ट विवादों से परे हो सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—मध्यकता समझौता करार, जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अधीन शून्य है, मध्यकता समझौता करार के अर्थांतर्गत विधिमान्य समझौता करार नहीं समझा जाएगा । 1872 का 9

(2) जहां मध्यकता समझौता करार सभी मुद्दों या उनमें से कुछ मुद्दों के

संबंध में पक्षकारों के मध्य किया जाता है, वहां वह पक्षकारों द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा और हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(3) धारा 26 और धारा 27 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए,—

(i) संस्थागत मध्यकता के मामले में इस प्रकार हस्ताक्षरित मध्यकता समझौता करार ऐसे मध्यक को प्रस्तुत किया जाएगा, जो उसे अधिप्रमाणित करने के पश्चात् उसके द्वारा हस्ताक्षरित आवरण पत्र के साथ मध्यकता सेवा प्रदाता को भेजेगा और उसकी एक प्रति पक्षकारों को भी प्रदान करेगा ;

(ii) अन्य सभी मामलों में, इस प्रकार हस्ताक्षरित पक्षकारों का करार ऐसे मध्यक को प्रस्तुत किया जाएगा, जो समझौता करार को अधिप्रमाणित करने के पश्चात् सभी पक्षकारों को एक प्रति उपलब्ध कराएगा ।

(4) पक्षकार, मध्यकता प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय मध्यकता की विषय-वस्तु का भागरूप होने वाले मुद्दों में से किसी मुद्दे के संबंध में अंतिम या आंशिक करार कर सकेंगे ।

(5) इस धारा के अधीन किसी मध्यकता समझौते करार में आनलाइन मध्यकता के परिणमस्वरूप समझौता करार सम्मिलित है ।

मध्यकता समझौता करार का रजिस्ट्रीकरण ।

1987 का 39

20. (1) अभिलेख के प्रयोजन के लिए, न्यायालय या अधिकरण में निर्दिष्ट मध्यकता या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21 और धारा 22ड. के अधीन लोक अदालत के पंचाट या स्थायी लोक अदालत के अंतिम पंचाट से भिन्न पक्षकारों के बीच किया गया कोई मध्यकता समझौता करार, पक्षकारों के विकल्प पर अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरणों या किन्हीं अन्य निकायों, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, के पास रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा और ऐसा प्राधिकरण या निकाय ऐसे समझौता करारों के लिए विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या जारी करेगा :

परंतु इस धारा के अधीन पक्षकारों के बीच किए गए समझौता करार विवाद की विषय-वस्तु का विनिश्चय करने के लिए समक्ष अधिकारिता वाले न्यायालय या अधिकरण की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा :

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 27 के अधीन मध्यकता किए गए समझौता करार, प्रवृत्त कराने के या धारा 28 के अधीन उसे चुनौती देने के पक्षकारों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मध्यकता समझौता करार का रजिस्ट्रीकरण, मध्यकता समझौता करार की अधिप्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक सौ अस्सी दिवस के भीतर पक्षों या मध्यकता सेवा प्रदाता द्वारा कराया जा सकेगा :

परंतु मध्यकता समझौता करार ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण या किसी अन्य निकाय के साथ परामर्श करके विनिर्दिष्ट की जाए ।

निपटारा नहीं किए जाने पर रिपोर्ट ।

21. धारा 26 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, जहां धारा 18 के अधीन उपबंधित समयावधि के भीतर पक्षकारों के मध्य कोई करार नहीं होता है या जहां मध्यकता की राय में निपटारा होना संभव नहीं है, तो वह,—

(i) संस्थागत मध्यकता की दशा में, मध्यकता सेवा प्रदाता को लिखित में समझौता नहीं किए जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ;

(ii) अन्य सभी मामलों में निपटारा नहीं किए जाने की रिपोर्ट तैयार करेगा और सभी पक्षकारों को एक हस्ताक्षरित प्रति प्रदान करेगा :

परंतु इस उपधारा में निर्दिष्ट रिपोर्ट समझौता न होने के कारण या किसी अन्य विषय या मध्यकता के दौरान उनके आचरण को निर्दिष्ट करने वाली किसी बात का प्रकटन नहीं करेगी ।

गोपनीयता ।

22. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय मध्यक, मध्यकता सेवा प्रदाता, पक्षकार और मध्यकता के भागीदार, मध्यकता कार्यवाहियों से संबंधित निम्नलिखित सभी विषयों को गोपनीय रखेंगे,—

(i) मध्यकता के दौरान की गई अभिस्वीकृतियां, राय, सुझाव, वचन, प्रस्ताव, क्षमा और अभिस्वीकृति ;

(ii) मध्यकता में किए गए आदान-प्रदान या मध्यकता की स्वीकृति या मध्यकता के लिए रजामंदी, किए गए प्रस्तावों को स्वीकार करने की स्वीकृति ;

(iii) मध्यकता के संचालन या उसके संबंध में एकमात्र तैयार किए गए दस्तावेज ;

(iv) कोई अन्य मध्यकता संसूचना ।

(2) मध्यकता कार्रवाई की कोई श्रव्य या दृश्य अभिलेखन, मध्यकता प्रक्रिया की संचालन की गोपनीयता को सुरक्षित करने के लिए पक्षकारों या भागीदारों द्वारा, जिसके अंतर्गत मध्यक और मध्यकता सेवा प्रदाता भी शामिल है द्वारा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से या आनलाइन संचालित की गई हो, नहीं की जाएगी या रखी जाएगी ।

(3) मध्यकता के लिए कोई पक्षकार किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में जिसमें माध्यस्थम् अधिकरण शामिल है, उपधारा (1) के खंड (i) से (iv) में उपवर्णित किसी सूचना या संसूचना को साक्ष्य के रूप में जारी या प्रस्तुत नहीं करेंगे, जिसमें इलैक्ट्रानिक प्ररूप में कोई जानकारी या मौखिक संसूचना शामिल है और न्यायालय या अधिकरण, जिसमें माध्यस्थम् अधिकरण भी शामिल है, ऐसी जानकारी या साक्ष्य पर संज्ञान नहीं लेगा ।

(4) इस धारा के उपबंध अनुसंधान, रिपोर्टिंग या प्रशिक्षण प्रयोजन के लिए, साधारण जानकारी संबंधी मामले, जो मध्यकता के अधीन हैं, के अनुपालन या प्रकटन से मध्यक को नहीं रोकेंगे, यदि जानकारी अभिव्यक्त रूप से या अप्रत्यक्ष मध्यकता में विनिर्दिष्ट विवादों के पक्षकारों या भागीदारों की पहचान नहीं होती है ।

स्पष्टीकरण—संदेहों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात मध्यकता समझौता करार को लागू नहीं होगी, जहां यह रजिस्ट्रीकरण या निष्पादन या परिवर्तन के प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

प्रकटन के विरुद्ध ग्राह्यता, विशेषाधिकार ।

23. (1) मध्यकता में कोई मध्यक या प्रतिभागी, जिसके अंतर्गत मध्यकता के प्रयोजन के लिए लगे हुए विशेषज्ञ या सलाहकार और मध्यकता के प्रशासन में अंतर्वलित व्यक्ति भी हैं, को किसी भी समय, किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष मध्यकता में किसी संसूचना को या किसी न्यायनिर्णायक कार्यवाहियों, चाहे वह किसी भी वर्णन की हों, में प्रकट करने के लिए या मध्यकता के दौरान पक्षकारों के

किसी दस्तावेज या उसकी प्रकृति या आचरण की अंतर्वस्तु या शर्तों, जिनके अंतर्गत बातचीत या प्रस्थापनों या प्रतिस्थापनों, जिनसे वे मध्यस्थता के दौरान परिचित हो गए हैं, की अंतर्वस्तु भी है, का कथन करने के लिए अनुज्ञात या विवश नहीं किया जाएगा :

परंतु इस धारा और धारा 22 में की कोई बात वांछित सूचना या मध्यकता के दौरान होने वाले आचरण के आधार पर वृत्तिक दुराचरण या अनाचार के दावे या शिकायत को साबित करने या उस पर विवाद खड़ा करने के लिए संरक्षा नहीं करेगी या उसका उपबंध नहीं करेगी ।

(2) ऐसा विशेषाधिकार और गोपनीयता नहीं है, जो निम्नलिखित से संबद्ध हो,—

(क) विधि के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए धमकी या योजना का कथन ;

(ख) घरेलू हिंसा या बाल दुरुपयोग से संबंधित सूचना ।

मध्यकता का समापन ।

24. इस भाग के अधीन मध्यकता कार्यवाहियां निम्नानुसार पर्यवसित हो जाएंगी,—

(क) मध्यकता समझौता करार पर हस्ताक्षर और अधिप्रमाणन की तारीख को ; या

(ख) पक्षकारों से या अन्यथा परामर्श के पश्चात् मध्यकता द्वारा इस प्रभाव की घोषणा करके कि मध्यकता पर और प्रयास घोषणा की तारीख को अब और न्यायोचित नहीं है ; या

(ग) मध्यक और अन्य पक्षकारों को संबोधित इस प्रभाव की व्यय मध्यकता से बाहर होने की वांछा रखते हैं, पक्षकार या पक्षकारों द्वारा संसूचित करने पर ; या

(घ) धारा 18 के अधीन समय-सीमा के अवसान पर ।

मध्यकता का खर्च ।

25. (1) सामुदायिक मध्यकता से भिन्न मध्यकता का खर्च वह होगा जो विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हों, मध्यकता का पूरा खर्च, जिसके अंतर्गत मध्यक की फीस और मध्यकता सेवा प्रदाता के प्रभार है, पक्षकारों द्वारा बराबर वहन किया जाएगा ।

लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत की कार्यवाही प्रभावित न होना।

1987 का 39

26. इस अधिनियम के उपबंध विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत द्वारा संचालित की गई प्रक्रिया पर लागू नहीं होंगे ।

अध्याय 6

मध्यकता निपटारा करार का प्रवर्तन

मध्यकता निपटारा करार का प्रवर्तन ।

27. (1) पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित और मध्यक द्वारा अधिप्रमाणित मध्यकता के परिणामस्वरूप एक मध्यकता निपटारा करार पक्षकारों और उनके अधीन दावा करने वाले संबंधित व्यक्तियों पर बाध्यकारी और अंतिम होगा तथा उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रवर्तनीय होगा ।

(2) धारा 28 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, मध्यकता समझौता करार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अनुसार उसी रीति में प्रवर्तनीय होगा, जैसे कि वह न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या डिक्री हो और तदनुसार प्रतिरक्षा के माध्यम से, मुजरा या किसी विधिक कार्यवाही में अन्यथा किन्हीं पक्षकारों या उनके माध्यम से दावा करने वाले किन्हीं व्यक्तियों द्वारा निर्भर किया जा सकेगा । 1908 का 5

मध्यकता निपटारा करार पर आक्षेप ।

28. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मे अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे मामले में, जिसमें पक्षकारों के बीच मध्यकता करार हो जाता है और दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा उसको चुनौती दी जाती है, तो ऐसा पक्षकार न्यायालय या सक्षम अधिकारिता रखने वाले अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा ।

(2) मध्यकता निपटारा करार पर केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं आधारों पर आक्षेप किया जा सकेगा,—

(i) कपट; या

(ii) भ्रष्टाचार; या

(iii) प्रतिरूपण;

(iv) जहां किसी विवाद या मामले में संचालित मध्यकता धारा 7 के अधीन मध्यकता के लिए उपयुक्त नहीं है ।

(3) मध्यकता निपटारा करार पर आक्षेप करने के लिए कोई आवेदन उस तारीख से जिसको वह आवेदन करने वाले पक्षकार ने धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन मध्यकता निपटारा करार की प्रति प्राप्त की हैं, नब्बे दिवस बीत जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा :

परंतु यदि यथास्थिति, न्यायालय या अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उक्त नब्बे दिवस की अवधि के भीतर आवेदन किए जाने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित हो गया था, तो वह नब्बे दिवस की अतिरिक्त अवधि के भीतर आवेदन स्वीकार कर सकेगा ।

परिसीमा ।

29. परिसीमा अधिनियम, 1963 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्हीं कार्रवाइयों, विवादों से संबंधित किन्हीं कार्रवाईयों, जिनके संबंध में इस अधिनियम के अधीन मध्यकता की गई है, के लिए नियत मध्यकता अवधि की गणना में धारा 14 के अधीन मध्यकता प्रारंभ होने की तारीख से और— 1963 का 36

(i) धारा 21 के अधीन रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण; या

(ii) धारा 24 के अधीन मध्यकता के पर्यवसान,

तक की अवधि अपवर्जित की जाएगी ।

अध्याय 7

आनलाइन मध्यकता

आनलाइन मध्यकता ।

30. (1) आनलाइन मध्यकता, जिसके अंतर्गत मुकदमा-पूर्व मध्यकता भी है, इस अधिनियम के अधीन मध्यकता के किसी भी स्तर पर पक्षकारों की लिखित

सहमति से संचालित की जा सकेगी जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक प्ररूप या कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग द्वारा मध्यकता सम्मिलित है लेकिन यह किसी गूढ़लेखित इलैक्ट्रानिक ई-मेल सेवा, सुरक्षित चैट रूप और वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा आडियो रीति या दोनों तक सीमित नहीं है ।

(2) आनलाइन मध्यकता की प्रक्रिया ऐसी रीति में होगी जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) आनलाइन मध्यकता ऐसी परिस्थितियों में संचालित की जाएगी जो पूरे समय कार्यवाहियों की निष्पक्षता के आवश्यक तत्व और गोपनीयता अनुरक्षित करे और मध्यक इस संबंध में ऐसे समुचित कदम उठा सकेगा जो उचित समझे ।

(4) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, आनलाइन मध्यकता की दशा में मध्यकता संसूचनाओं में मध्यकता की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी ।

अध्याय 8

भारतीय मध्यकता परिषद्

मध्यकता परिषद् का स्थापन और निगमन ।

31. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के पालन और कृत्यों के निर्वहन के लिए भारतीय मध्यकता परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् की स्थापना करेगी ।

(2) परिषद् पूर्वोक्त नाम की एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे जंगम और स्थावर दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) परिषद् का मुख्यालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थानों पर होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ।

(4) परिषद्, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से भारत में और विदेश में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगी ।

परिषद् की संरचना ।

32. (1) परिषद्, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसके पास विधि, अधिमानतः मध्यकता वैकल्पिक विवाद समाधान, लोक कार्य या प्रशासन से संबंधित समस्याओं से व्यौहार करने का पर्याप्त ज्ञान और वृत्तिक अनुभव हो या जिसने ऐसी क्षमता दर्शित की हो—अध्यक्ष ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक व्यक्ति, जो मध्यकता या वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों से संबंधित विधि का ज्ञान और अनुभव रखता हो—सदस्य;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक प्रख्यात व्यक्ति जो मध्यकता और वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों के क्षेत्र में अनुसंधान या अध्यापन का अनुभव रखता हो—सदस्य;

(घ) भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग का सचिव या उसका संयुक्त सचिव के पद से अन्यून पद का प्रतिनिधि –

सदस्य, पदेन;

(ङ) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का सचिव या उसका संयुक्त सचिव के पद से अन्यून पद का प्रतिनिधि –सदस्य, पदेन;

(च) मुख्य कार्यकारी अधिकारी–सदस्य सचिव, पदेन; और

(छ) केन्द्रीय सरकार द्वारा चयनित मान्यताप्राप्त वाणिज्य और उद्योग निकाय का एक प्रतिनिधि–अंशकालिक सदस्य ।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न परिषद् का सदस्य अपना पद ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे :

परंतु पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अध्यक्ष की दशा में सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात और अन्य सदस्यों की दशा में सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेंगे :

परंतु यह और कि यदि अध्यक्ष की नियुक्ति अंशकालिक आधार पर की जाती है तब खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन नियुक्त किए गए सदस्यों में से कम से कम एक पूर्णकालिक सदस्य होगा ।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का वेतन, भत्ते और अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाए ।

(4) सदस्य ऐसे यात्रा भत्ते और अन्य भत्तों के लिए हकदार होगा जो विहित किए जाएं ।

रिक्तियों, आदि से परिषद् की कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना ।

33. परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण भी अविधिमान्य नहीं होगी, यदि–

(क) परिषद् में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि हो; या

(ख) परिषद् के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि हो; या

(ग) परिषद् की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती हो ।

पदत्याग ।

34. सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा :

परंतु उक्त सदस्य जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा उससे पहले पद का त्याग करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो, ऐसी सूचना की तारीख से तीस मास की समाप्ति तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति के पद ग्रहण करने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति तक, जो भी पूर्वतम हो, अपना पद धारण करता रहेगा ।

पद से हटाना ।

35. केन्द्रीय सरकार किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी, यदि वह–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो ; या

(ख) केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय किसी सवेतन नियोजन में नियोजित हो ; या

(ग) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक

अर्धमता अन्तर्वलित है ; या

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हो जिससे उसके सदस्य के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हैं ; या

(ङ) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो जिसके कारण उसका पद पर बनें रहना लोकहित के प्रतिकूल है ; या

(च) जो ऐसे किसी सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से शैथिल्य हो गया हो :

परन्तु जहां किसी सदस्य को किसी आधार पर हटाए जाने का प्रस्ताव है वहां उसे, उसके विरूद्ध लगाए गए आरोप संसूचित किए जाएंगे और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

विशेषज्ञों की नियुक्ति और उनकी समितियों का गठन ।

36. परिषद्, अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जो विनिर्दिष्ट की जाए ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति और विशेषज्ञों की ऐसी समितियों का गठन जैसा वह आवश्यक समझे, कर सकेगी ।

परिषद् का सचिवालय और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।

37. (1) परिषद् का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा जो परिषद् के दिन प्रतिदिन प्रशासन और उसके विनिश्चयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अर्हताएं, नियुक्ति और सेवाओं की अन्य निबंधनें तथा शर्तें ऐसी होंगी जो विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) परिषद् का एक सचिवालय होगा जिसमें ऐसी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी होंगे, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों की अर्हताएं, नियुक्ति और सेवाओं की अन्य निबंधनें तथा शर्तें ऐसी होंगी जो विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(5) केन्द्रीय सरकार इस धारा के अधीन विनियमों के बनाए जाने तक परिषद् के कृत्यों के लिए ऐसी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी प्रदत्त करेगी, जो आवश्यक समझे ।

परिषद् के कर्तव्य और कृत्य ।

38. परिषद्—

(क) समुचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के माध्यम से भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यकता का संवर्धन करने के लिए प्रयास करेगी ;

(ख) भारत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यकता के सुदृढ़ केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रयास करेगी ;

(ग) मान्यताप्राप्त मध्यकता संस्थानों द्वारा मध्यकों की सतत शिक्षा, प्रमाणन और निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश अधिकथित करेगी ;

(घ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन मध्यकता कार्यवाहियों के संचालन की रीति का उपबंध करेगी;

(ङ) मध्यकों के रजिस्ट्रीकरण की रीति का उपबंध करना और ऐसी शर्तों के आधार पर, ऐसे रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करेगी, प्रतिसंहरण करेगी, रद्द करेगी या ऐसे रजिस्ट्रीकरण को निलंबित करेगी, जो विनिर्दिष्ट की जाए ;

(च) मध्यकों के वृतिक और नैतिक आचार के लिए मानक अधिकथित करेगी जो धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन हो ;

(छ) भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मध्यकता सेवा प्रदाताओं, विधिक फर्मों और विश्वविद्यालयों और वन्य पणधारियों तथा किन्हीं अन्य मध्यकता संस्थानों के सहयोग से मध्यकता के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यशालाओं और पाठ्यक्रमों का आयोजन करना; और

(ज) इस संबंध में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निकायों या संगठनों या संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन/करार करना;

(झ) मध्यकता संस्थाओं और मध्यकता सेवा प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करना तथा ऐसी मान्यता का नवीकरण, प्रतिसंहरण, निलंबन या रद्द करना ;

(ञ) मध्यकता संस्थाओं और मध्यकता सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट करना ;

(ट) मध्यकता संस्थानों और मध्यकता सेवा प्रदाताओं से किसी सूचना या अभिलेख की मांग करना ;

(ठ) मध्यकता संस्थानों और मध्यकता सेवा प्रदाता के वृतिक नैतिक आचरण के लिए मानक अधिकथित करना ;

(ड) ऐसी सूचना, डाटा, अनुसंधान अध्ययन और ऐसी अन्य सूचना का प्रकाशन करना जैसी कि अपेक्षा की जाए ;

(ढ) भारत में किए गए मध्यकता समझौता करारों के इलैक्ट्रोनिकी निक्षेपागार और उससे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों का ऐसी रीति में अनुरक्षण करना जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ; और

(ण) कोई अन्य कृत्य करना जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समनुदेशित किए जाएं ।

मानीटरी और रिपोर्ट करना ।

39. (1) परिषद्, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या ऐसे अन्य अंतरालों पर जैसा वह केंद्रीय सरकार द्वारा निदेश दिया जाए, यथाशीघ्र व्यवहार्य उस वर्ष के दौरान या ऐसे अंतरालों पर इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की रिपोर्ट तैयार करेगी और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, ऐसे अतिरिक्त उपाय जो वह परिषद् के कृत्यों की अनुपूर्ति और इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे, कर सकेगी ।

अध्याय 9

मध्यकता सेवा प्रदाता और मध्यकता संस्थान

मध्यकता सेवा प्रदाता ।

40. (1) मध्यकता सेवा प्रदाता में निम्नलिखित सम्मिलित है—

(क) कोई निकाय या संगठन, जो इस अधिनियम के अधीन और बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन मध्यकता का संचालन करने का उपबंध करता है और परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त है ; या

(ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित प्राधिकरण ; या 1987 का 39

(ग) मध्यकता से उपाबद्ध न्यायालय; या

(घ) कोई अन्य निकाय, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए :

परंतु खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में निर्दिष्ट निकायों को परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त मध्यकता सेवा प्रदाता समझा जाएगा ।

(2) परिषद् द्वारा मध्यकता सेवा प्रदाता को ऐसी रीति में जो विनिर्दिष्ट की जाए, मान्यता दी जाएगी ।

41. मध्यकता सेवा प्रदाता निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात्:— मध्यकता सेवा प्रदाताओं के कृत्य ।

(क) मध्यकों का प्रत्यायन और मध्यकों के पैनल का अनुरक्षण ;

(ख) मध्यकता के संचालन के लिए मध्यकों की सेवाएं प्रदान करना ;

(ग) मध्यकतों के दक्ष संचालन के लिए सभी सुविधाएं सचिवालयिक सहायता और अवसंरचना प्रदान करना ;

(घ) मध्यकों के मध्य उत्तम वृत्तिक और नैतिक आचार की अभिवृद्धि करना ;

(ङ) धारा 20 के उपबंधों के अनुसार मध्यकता निपटारा करार के रजिस्ट्रीकरण को सुकर बनाना ।

(च) ऐसे अन्य कृत्य, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

42. परिषद् मध्यकता संस्थानों को ऐसे कर्तव्यों के पालन के लिए और ऐसे कृत्यों के निष्पादन के लिए, जो विहित किए जाएं, मान्यता देगी । मध्यकता संस्थान ।

अध्याय 10

सामुदायिक मध्यकता

43. (1) किसी क्षेत्र या स्थान के निवासियों या कुटुंबों के मध्य शांति, सौहार्द और प्रशांति पर प्रभाव डालने वाले किसी विवाद का निपटारा, विवाद के पक्षकारों की पूर्व सहमति से सामुदायिक मध्यकता के माध्यम से किया जा सकेगा । सामुदायिक मध्यकता ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, कोई पक्षकार विवाद को मध्यकता के लिए निर्दिष्ट करने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित संबद्ध प्राधिकरण या ऐसे क्षेत्रों में, जहां ऐसे अधिकरण का गठन नहीं किया गया है, उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करेगा । 1987 का 39

(3) किसी विवाद के निपटारे को सुकर बनाने के लिए, जिसके लिए उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त हुआ है, यथास्थिति, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित प्राधिकरण या जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट, तीन सामुदायिक मध्यकों का स्थायी पैनल तैयार करेंगे । 1987 का 39

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, प्राधिकरण या जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट सामुदायिक मध्यकों का एक स्थायी पैनल तैयार करेंगे, जिसे समय समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा ।

(5) उपधारा (3) के अनुसरण में अधसूचित पैनल में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित किए जा सकेंगे,—

(क) स्थायी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति जो समुदाय में सम्माननीय है ;

(ख) कोई स्थानीय व्यक्ति जिनके समाज के लिए योगदान को मान्यता प्रदान की गई है ;

(ग) क्षेत्र/निवासी कल्याण संगमों के प्रतिनिधि ;

(घ) व्यक्ति जिसके पास मध्यकता के क्षेत्र में अनुभव है; और

(ङ) कोई अन्य व्यक्ति जिसे समुचित समझा जाए ।

(6) उपधारा (4) के अनुसरण में पैनल तैयार करते समय महिला प्रतिनिधियों पर भी विचार किया जाएगा ।

सामुदायिक मध्यकता की प्रक्रिया ।

44. (1) किसी सामुदायिक मध्यकता का संचालन धारा 43 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट तीन सामुदायिक मध्यकों के पैनल द्वारा किया जाएगा, जो विवाद का समाधान करने के प्रयोजन के लिए समुचित प्रक्रिया अपनाएगा ।

(2) तीन या अधिक सामुदायिक मध्यकों के माध्यम से विवादों का समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे और सौहार्दपूर्ण रूप से विवादों का समाधान करने के लिए पक्षकारों को सहायता प्रदान करेंगे ।

(3) प्रत्येक मामले में, जहां इस अधिनियम के अधीन सामुदायिक मध्यकता के माध्यम से कोई समझौता करार होता है तो उसे पक्षकारों के हस्ताक्षर द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा और उसे सामुदायिक मध्यकों द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा, जिसकी एक प्रति पक्षकारों को प्रदान की जाएगी तथा ऐसे मामलों में, जहां कोई समझौता करार नहीं होता है तो सामुदायिक मध्यकों द्वारा, यथास्थिति, प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट और पक्षकारों को समझौता न होने की अनिपटारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) इस अधिनियम के अधीन हुआ कोई समझौता करार उस क्षेत्र या अवस्थिति के निवासियों के बीच शांति, सामंजस्य और सौहार्द बनाने के प्रयोजन के लिए होगा किंतु वह इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी किसी सिविल न्यायालय के निर्णय या डिक्री के रूप में प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

(5) धारा 20 के उपबंध इस धारा के अधीन मध्यकता समझौता करार के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में यथावश्यक उपांतरणों सहित लागू होंगे ।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

मध्यकता निधि ।

45. (1) इस अधिनियम के अधीन मध्यकता का संवर्धन करने, सुकर बनाने और प्रोत्साहित करने के प्रयोजनों के लिए 'मध्यकता निधि' (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'निधि' कहा गया है) नामक एक निधि की स्थापना की जाएगी ।

(2) निधि में निम्नलिखित का प्रत्यय किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशियां ;

(ख) मध्यकता सेवा प्रदाता, मध्यकता संस्थाओं या निकायों या व्यक्तियों से प्राप्त सभी फीसें और अन्य प्रभार ;

(ग) संदान, अनुदान, अभिदाय और अन्य स्रोतों से आय के रूप में परिशिष्ट द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां ;

(घ) निधि के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुदान ;

(ङ) निधि में अभिदाय के रूप में व्यक्तियों द्वारा जमा की गई रकमें ;

(च) किसी अन्य स्रोत से निधि में प्राप्त रकमें ; और

(छ) पूर्वोक्त पर ब्याज या निधि से किए गए विनिधान पर प्राप्त अन्य आय ।

(3) निधि का उपयोग सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों तथा परिषद् के व्ययों को, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के उपयोग और कर्तव्यों के निर्वहन में उपगत व्यय है, को चुकाने के लिए किया जाएगा ।

लेखे और संपरीक्षा ।

46. (1) परिषद् उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा, जिसके अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से यथाविहित प्ररूप और ऐसी रीति में, तुलनपत्र सहित लेखाओं का एक वार्षिक विवरण सम्मिलित है ।

(2) परिषद् के लेखाओं की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय परिषद् द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के हैं और विशेष रूप से लेखा पुस्तकों, लेखाओं, संबद्ध वाऊचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्र पेश करने की मांग करने तथा संस्थान और उसके द्वारा स्थापित तथा चलाई जा रही संस्थाओं के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा के सबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित परिषद् के लेखे उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और वह सरकार उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

47. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में या कृत्यों का निष्पादन करने में नीति के प्रश्नों पर ऐसे लिखित निदेशों से, जो समय-समय पर, केन्द्रीय सरकार उसे दे, आबद्ध होगी :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश देने से पूर्व परिषद् के मत पर विचार किया जाएगा ।

(2) कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

स्कीम या दिशानिर्देश विरचित करने की शक्ति ।

48. स्कीम में दिशानिर्देश विरचित करने की शक्ति - इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति, उसका कोई अस्तित्व या अभिकरण ऐसे मामले में, जहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसका कोई भी अस्तित्व या अभिकरण एक पक्षकार है, के मामलों में माध्यस्थम या सुलह के माध्यम से किसी विवाद के समाधान के लिए किन्हीं स्कीमों या दिशानिर्देशों की विरचना कर सकेगा और ऐसे मामलों में मध्यस्थता या सुलह का संचालन ऐसी स्कीमों या दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा सकेगा ।

मध्यकता समझौता करार, जहां सरकार या उसका कोई अभिकरण, आदि एक पक्षकार है ।

49. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई विवाद, जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक विवाद है, जिसमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसका कोई अभिकरण, लोक निकाय, निगम और स्थानीय निकाय जिसके अंतर्गत उनके द्वारा नियंत्रित या उनके स्वामित्वाधीन निकाय हैं, एक पक्षकार है, किए गए समझौता करार पर केवल, यथास्थिति, ऐसी सरकार या उसके अस्तित्व या अभिकरणों, लोक निकायों, निगमों और स्थानीय निकायों के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित सहमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

50. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उस सरकार के किसी अधिकारी, परिषद् के सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी, मध्यक, मध्यक संस्थानों, मध्यक सेवा प्रदाताओं, मध्यकों के विरुद्ध नहीं होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

51. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन सदस्यों के वेतन और भत्ते और निबंधन और शर्तें ;

(ख) धारा 32 की उपधारा (4) के अधीन सदस्यों को संदेय, यात्रा और अन्य भत्ते ;

(ग) धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण का प्ररूप और रीति, जिसके अंतर्गत तुलन-पत्र है ; और

(घ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया गया है या विहित किया जाए ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

52. (1) परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे—

(क) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विदेशी राष्ट्रीयता के मध्यकों के लिए अर्हता, अनुभव और प्रत्ययता ;

(ख) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन मध्यस्थता कार्यवाही संचालित करने की प्रक्रिया और रीति ;

(ग) धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन मध्यकों के व्यवसायिक और नैतिक आचार के मानक ;

(घ) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन मध्यकता समझौता करार के रजिस्ट्रीकरण की रीति ;

(ङ) धारा 20 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन मध्यकता समझौता करार के रजिस्ट्रीकरण की फीस ;

(च) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन में मध्यकता का खर्च;

(छ) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन आनलाइन मध्यकता संचालित करने के लिए प्रक्रिया की रीति ;

(ज) धारा 36 के अधीन विशेषज्ञों और विशेषज्ञ समितियों के निबंधन और शर्तें ;

(झ) धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अर्हताएं, नियुक्ति और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ञ) धारा 37 की उपधारा (4) के अधीन परिषद् के सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या ;

(ट) धारा 37 की उपधारा (5) के अधीन परिषद् के कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों की अर्हताएं, नियुक्ति और अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ठ) धारा 38 के खंड (घ) के अधीन मध्यकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए शर्तें और ऐसे रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, प्रतिसंहरण, निलंबन या रद्द करना ;

(ड) धारा 38 के खंड (झ) के अधीन मध्यक संस्थाओं और मध्यकता सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए मानदंड ;

(ढ) धारा 38 के खंड (ड) के अधीन मध्यकता किए गए समझौता करार के इलैक्ट्रानिकी निक्षेपागार के अनुरक्षण की रीति ;

(ण) धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन मध्यकता सेवा प्रदाता की मान्यता की रीति ;

(त) धारा 41 के खंड (च) के अधीन मध्यकता सेवा प्रदाता के ऐसे अन्य कृत्य ;

(थ) धारा 43 के अधीन मध्यकता संस्थानों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्य और कृत्य ; और

(द) कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में, इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा कृत्यों को करने के लिए उपबंध आवश्यक हों ।

रखा जाना ।

53. इस अधिनियम के अधीन धारा 6 की उपधारा (2), धारा 55 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, नियम और विनियम बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना, नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना, नियम या विनियम नहीं बनाया जाना या जारी किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु अधिसूचना, नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस अधिसूचना, नियम या विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

54. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर

सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों में अंतर्विष्ट मध्यकता या सुलह पर अध्यारोही प्रभाव होना ।

55. (1) दूसरी अनुसूची में वर्णित अधिनियमितियों की शर्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और विधि का बल रखने वाले किसी अन्य लिखत में अंतर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी मध्यकता या सुलह के संचालन पर अध्यारोही प्रभाव होगा ।

(2) यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा दूसरी अनुसूची को संशोधित कर सकेगी और तत्पश्चात् वह तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी ।

अधिनियम का लंबित कार्यवाहियों को लागू न होना ।

56. यह अधिनियम इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व आरंभ की गई किसी मध्यकता या सुलह के संबंध में लागू नहीं होगा ।

अस्थायी उपबंध ।

57. मध्यकता से संलग्न न्यायालयों के आचरण को शासित करने वाले प्रवृत नियम धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन विनियम बनाए जाने तक लागू रहेंगे :

परंतु ये नियम, विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख तक लंबित सभी मध्यकता संलग्न न्यायालयों पर लागू होंगे ।

1872 के अधिनियम संख्यांक 9 का संशोधन ।

58. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 का तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

1908 के अधिनियम संख्यांक 5 का संशोधन ।

59. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

1987 के अधिनियम संख्यांक 39 का संशोधन ।

60. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का पांचवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

1996 के अधिनियम संख्यांक 26 का संशोधन ।

61. माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

2006 के अधिनियम संख्यांक 27 का संशोधन ।

62. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 का सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

2013 के अधिनियम संख्यांक 18 का संशोधन ।

63. कंपनी अधिनियम, 2013 का आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

64. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

2016 के अधिनियम संख्यांक 4 का संशोधन ।

65. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

2019 के अधिनियम संख्यांक 35 का संशोधन ।

पहली अनुसूची

(धारा 6 देखिए)

विवाद या मामले, जो मध्यकता के लिए उचित नहीं है

1. विवाद, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर मध्यकता के लिए प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे ।

2. अल्प व्यस्कों, देवताओं; अनुसूची के पैरा 2 के अधीन बौद्धिक दिव्यांगजनों और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड (न) में यथा परिभाषित उच्च सहायता आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों; मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ध) में यथा परिभाषित मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति; विकृतचित्त व्यक्ति, जिनके संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 32 के अधीन कार्रवाईयां संचालित की जानी हैं, के विरुद्ध दावे और सरकार के विरुद्ध हक घोषित करने के वाद, जिनका सब व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकार का प्रभाव है ।

3. प्रशमनीय अपराधों से भिन्न दांडिक अपराधों हेतु अभियोजन अंतर्वलित करने वाले विवाद ।

4. किसी व्यवसायी या अन्य रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक, जैसे विधि व्यवसायी, चिकित्सा व्यवसायी, दंत चिकित्सक, वास्तुविद्, चार्टर्ड अकाउंटेट या किसी वर्णन की किसी अन्य वृत्ति के संबंध में, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनियमित हैं, के रजिस्ट्रीकरण, अनुशासन, कदाचार के संबंध में किसी कानूनी प्राधिकारी या निकाय के समक्ष आरम्भ किए गए परिवाद या कार्यवाहियां ।

5. विवाद, जिनका किसी तीसरे पक्षकार के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता हो, जो मध्यकता कार्यवाहियों का पक्षकार नहीं हैं सिवाय वैवाहिक विवादों के, जहां किसी बालक का हित अंतर्वलित है ।

6. किसी राज्य विधायिका या भारत की संसद् द्वारा अधिनियमित किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर या प्रतिदायों के संबंध में किसी उद्ग्रहण, संग्रहण, शास्तियों या अपराधों के संबंध में कोई विवाद ।

7. किसी अधिनियमिति के अन्तर्गत आने वाली किसी विषय-वस्तु के संबंध में कोई कार्यवाही जिस पर राष्ट्रीय हरित अधिनियम, 2010 (2010 का 19) के अधीन गठित अधिकरण की अधिकारिता है ।

8. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) के अधीन कोई अन्वेषण, जांच या कार्यवाही, जिसके अन्तर्गत अधिनियम के अधीन महानिदेशक के समक्ष कार्यवाहियां भी हैं, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 (1997 का 24) के अधीन भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण या उस अधिनियम के अधीन स्थापित दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां ।

9. विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन समुचित विद्युत आयोगों और अपील अधिकरणों के समक्ष कार्यवाहियां ।

10. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के अधीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियां और अपील अधिकरण के समक्ष उनसे अपीलें ।

11. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां ।

12. भूमि अधिग्रहण विधियों या भूमि अधिग्रहण का उपबंध करने वाली किसी विधि के उपबंध के अधीन भूमि अधिग्रहण तथा प्रतिकर का अवधारण ।

13. विवाद की कोई अन्य विषय-वस्तु, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 55 देखिए)

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) ।

2. ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) ।

3. सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का 50) ।

4. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) ।

5. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) ।

6. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का 56) ।

7. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिलोप) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) ।

8. वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) ।

9. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) ।

तीसरी अनुसूची

(धारा 58 देखिए)

संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 28 के अपवाद 1 और अपवाद 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"**अपवाद 1**—माध्यस्थम् या मध्यकता विवाद, जो उद्भूत हो, को निर्दिष्ट संविदा की व्यावृति:—यह धारा किसी संविदा को अवैध नहीं ठहराएगी जिसके द्वारा किसी विषय या विषय के वर्ग के संबंध में दो या अधिक व्यक्ति सहमत होते हैं कि उनके बीच विवाद उद्भूत हो, तो माध्यस्थम् या मध्यकता के माध्यम से समाधान के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा ।

अपवाद 2—पहले ही उद्भूत हो चुके प्रश्नों को निर्दिष्ट करने के लिए संविदा की व्यावृति—यह धारा लिखित में किसी संविदा को अवैध नहीं ठहराएगी, जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति माध्यस्थम् या मध्यकता के लिए उनके बीच पहले ही उद्भूत हो चुके किसी प्रश्न को निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो जाते हैं या माध्यस्थम् अथवा मध्यकता के प्रतिनिर्देश तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी उपबंध को प्रभावित करेगी ।"।

चौथी अनुसूची

(धारा 59 देखिए)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में—

(i) भाग 5 के अधीन, "विशेष कार्यवाहियां", शीर्ष के अधीन, "माध्यस्थम्", उपशीर्ष का लोप किया जाएगा;

(ii) धारा 89 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी:—

"89. न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा—

जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच विवाद का समझौता किया जा सकेगा, समझौते के ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं, वहां न्यायालय—

(क) माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट कर सकेगी और तत्पश्चात् माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के उपबंध लागू होंगे मानो माध्यस्थम् के लिए कार्यवाहियां उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समझौते के लिए निर्दिष्ट की गई थीं ; या

(ख) मध्यकता अधिनियम, 2023 के उपबंधों के अनुसार, पक्षकारों के विकल्प के अनुसार न्यायालय सहबद्ध मध्यकता केन्द्र या किसी अन्य मध्यकता सेवा प्रदाता को, मध्यकता के लिए पक्षकार को निर्दिष्ट कर सकेगा ; या

(ग) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 20 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार विवाद को लोक अदालत को निर्दिष्ट करेगा और तत्पश्चात् उस अधिनियम के अन्य सभी उपबंध विवाद के संबंध में लागू होंगे ।

(घ) पक्षकारों के बीच समझौता करवा सकेगा तथा ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो न्यायिक समझौते के लिए उचित समझे ।"।

पांचवीं अनुसूची

(धारा 60 देखिए)

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 4 में खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(च) बातचीत, माध्यस्थम्, मध्यकता और सुलह के द्वारा विवादों का निपटारा, जिसके अन्तर्गत आनलाईन ढंग से निपटारा भी है, करने के लिए प्रोत्साहित करना ;"।

छठी अनुसूची

(धारा 61 देखिए)

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) में—

(क) धारा 43घ में,—

(i) उपधारा (1) में, "मध्यकता, सुलह", शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (2) के खंड (ङ), खंड (च) और खंड (झ) में "और सुलह", शब्दों का, जहां कहीं वे आते हैं, लोप किया जाएगा ।

(ख) धारा 61 से धारा 81 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"61. अधिनियमितियों में सुलह के प्रतिनिर्देश—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सुलह के माध्यम से विवादों के समाधान का उपबंध करने वाला तत्समय प्रवृत किसी अन्य अधिनियमिति के किसी अन्य उपबंध का अर्थ मध्यकता अधिनियम, 2023 के अधीन यथाउपबंधित मध्यकता के प्रतिनिर्देश लगाया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम और सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन यथाउपबंधित सुलह का अर्थ मध्यकता अधिनियम, 2023 की धारा 3 के खंड (ज) में निर्दिष्ट मध्यकता माना जाएगा ।

62. व्यावृत्ति--मध्यकता अधिनियम, 2023 के प्रारम्भ के पूर्व धारा 61 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 61 से धारा 81 के अनुसरण में आरम्भ की गई कोई सुलह कार्यवाहियां इसी प्रकार जारी रहेगी, मानो मध्यकता अधिनियम, 2023 अधिनियमित न किया गया हो ।"।

सातवीं अनुसूची

(धारा 62 देखिए)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में धारा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"**18. सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् को निर्देश**—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी विवाद का कोई पक्षकार धारा 17 के अधीन देय किसी रकम के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् को निर्देश कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश प्राप्त होने पर, परिषद् या तो स्वयं मामले में मध्यकता कार्य करेगी या मध्यकता अधिनियम, 2023 के अधीन यथा उपबंधित किसी मध्यकता सेवा प्रदाता को मामला निर्दिष्ट करेगी ।

(3) इस धारा के अधीन मध्यकता का कार्य, मध्यकता अधिनियम, 2023 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन आरंभ की गई मध्यकता सफल नहीं होती है और पक्षकारों के मध्य कोई समझौता हुए बिना समाप्त हो गई है वहां परिषद् या तो विवाद पर स्वयं माध्यस्थम् कार्रवाई करेगी या उसे ऐसे माध्यस्थम् के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किसी संस्था या केन्द्र को निर्दिष्ट करेगी और तब माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के उपबंध ऐसे विवाद को ऐसे लागू होंगे, मानो वह उस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी माध्यस्थम् करार के अनुसरण में हो ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् या वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किसी संस्था या केन्द्र को उसकी अधिकारिता के भीतर अवस्थित प्रदायकर्ता और भारत में किसी भी स्थान पर अवस्थित क्रेता के मध्य किसी विवाद में इस धारा के अधीन मध्यस्थ या मध्यक के रूप में कार्य करने की अधिकारिता होगी ।"।

आठवीं अनुसूची

(धारा 63 देखिए)

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में, धारा 442 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"**442 मध्यकता को निर्देश**—(1) कार्यवाहियों का कोई पक्षकार, केन्द्रीय सरकार, अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष किसी भी समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार अधिकरण या अपील अधिकरण को, ऐसे प्ररूप के साथ ऐसी फीस, यदि कोई हो, जो विहित की जाए, मध्यकता के लिए ऐसी कार्यवाहियों से संबंधित मामले को निर्देश करने के लिए आवेदन कर सकेगा और, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, अधिकरण या अपील अधिकरण को, मध्यकता अधिनियम, 2023 के उपबंधों के अधीन, मामले को कार्यान्वित की जाने वाली मध्यकता के लिए निर्दिष्ट करेगा ।

(2) इस धारा की कोई बात निवारित नहीं करेगी, केंद्रीय सरकार, अधिकरण, या अपील अधिकरण के समक्ष, जिसके समक्ष कोई कार्यवाही लंबित, ऐसी कार्यवाहियों के सबंध में किसी मामले को स्वप्रेरणा से, मध्यकता अधिनियम, 2023 के उपबंधों के अधीन कार्यों को करने वाली मध्यकता को, जो केन्द्रीय सरकार, अधिकरण, या अपील अधिकरण उचित समझे निर्दिष्ट करता है ।

(3) मध्यक या मध्यकता सेवा प्रदाता इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण सहित पक्षकारों के मध्य हुए मध्यकता करार को फाईल करेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण उसके भाग के रूप में उक्त मध्यकता समझौता करार करते हुए आदेश या निर्णय पारित करेगा ।

(5) मध्यक की फीस वे होगी, जो विहित की जाएं ।"।

नौवीं अनुसूची

(धारा 64 देखिए)

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का 4) में—

(क) अध्याय 3क के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अध्याय 3क

मुकदमा-पूर्व मध्यकता और समझौता

12क. मुकदमा-पूर्व मध्यकता और समझौता--(1) कोई वाद, जो इस अधिनियम के अधीन कोई अत्यावश्यक अंतरिम अनुतोष को अनुध्यात नहीं करता, संस्थित नहीं किया जाएगा, यदि वादी ऐसी रीति और प्रक्रिया के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, मुकदमा-पूर्व मध्यकता के उपचार का उपयोग नहीं करता ।

(2) मुकदमा-पूर्व मध्यकता के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित को प्राधिकृत करेगी—

(i) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के अधीन गठित प्राधिकरण ; या

(ii) मध्यकता अधिनियम, 2023 की धारा 3 के खंड (ङ) के अधीन यथापरिभाषित मध्यकता सेवा प्रदाता ।

(3) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन, प्राधिकारी या मध्यकता सेवा प्रदाता, उपधारा (1) के अधीन वादी द्वारा किए गए आवेदन की तारीख से एक सौ बीस दिन की कालावधि के भीतर मध्यकता प्रक्रिया को पूरा करेगा :

परन्तु मध्यकता की कालावधि का पक्षकारों की सहमति से साठ दिन की और कालावधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा:

परंतु यह और कि वह अवधि जिसे पक्षकारों ने मुकदमा पूर्व मध्यकता के लिए व्यतीत किया है परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के अधीन परिसीमा के प्रयोजनों के लिए गणना में नहीं ली जाएगी ।

(4) यदि वाणिज्यिक विवाद के पक्षकार समझौता करते हैं, तो उसे लेखबद्ध किया जाएगा तथा पक्षकारों और मध्यक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(5) इस धारा के अधीन किया गया मध्यक समझौता करार, मध्यकता अधिनियम, 2023 की धारा 27 और धारा 28 के उपबंधों के अनुसार व्यौहार किया जाएगा ।"।

(ख) धारा 21क में, उपधारा (2) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) धारा 12क की उपधारा (1) के अधीन मुकदमा-पूर्व मध्यकता की रीति और प्रक्रिया ;"।

दसवीं अनुसूची

(धारा 65 देखिए)

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) में,—

(क) धारा 2 में, खंड (25) और खंड (26) का लोप किया जाएगा ;

(ख) धारा 37 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"37. **मध्यकता के प्रतिनिर्देश** – यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर पक्षकारों द्वारा आवेदन करने पर, मध्यकता अधिनियम, 2023 के अधीन मध्यकता द्वारा समझौते हेतु विवादों को निर्दिष्ट करेगा ।

37क. **मध्यकता के माध्यम से समझौता**--(1) मध्यकता के अनुसरण में, उपभोक्ता विवाद में अंतर्वलित सभी मुद्दों के संबंध में या केवल कुछ मुद्दों के संबंध में, यदि पक्षकारों के बीच करार होता है, तो ऐसे करार के निबंधन तदनुसार लेखबद्ध किए जाएंगे तथा विवाद के पक्षकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

(2) मध्यक समझौते की समझौता रिपोर्ट तैयार करेगा तथा ऐसी रिपोर्ट के साथ हस्ताक्षरित करार संबंधित आयोग को अग्रेषित करेगा ।

(3) जहां विनिर्दिष्ट समय के भीतर पक्षकारों के बीच कोई करार नहीं होता है या मध्यक की यह राय है कि समझौता संभव नहीं है, तो वह अपनी रिपोर्ट तद्नुसार तैयार करेगा और उसे संबंधित आयोग को प्रस्तुत करेगा ।

37ख. समझौता अभिलिखित करना और आदेश पारित करना--(1) यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग समझौता रिपोर्ट की प्राप्ति के सात दिन के भीतर उपभोक्ता विवाद के ऐसे समझौते को अभिलिखित करते हुए उपयुक्त आदेश पारित करेगा तथा तदनुसार मामले का निपटारा करेगा ।

(2) जहां उपभोक्ता विवाद केवल भागत: समझौता किया जाता है तो, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग उन मुद्दों के समझौते को अभिलिखित करेगा, जो इस प्रकार समझौता किए गए हैं तथा ऐसे उपभोक्ता विवाद में अंतर्वलित अन्य मुद्दों की सुनवाई जारी रखेगा ।

(3) जहां उपभोक्ता विवाद मध्यकता द्वारा नहीं सुलझाया जा सका वहां, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग ऐसे उपभोक्ता विवाद में अंतर्वलित सभी मुद्दों की सुनवाई जारी रखेंगे ।

(ग) धारा 38 की उपधारा (1) में, "या मध्यकता द्वारा समझौता की असफलता पर मध्यकता के लिए निर्दिष्ट मामले के संबंध में" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(घ) धारा 41 में, तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ङ) अध्याय 5 का लोप किया जाएगा ;

(च) धारा 101 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ट) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (यच) का लोप किया जाएगा ;

(छ) धारा 102 की उपधारा (2) के खंड (त) का लोप किया जाएगा ;

(ज) धारा 103 की उपधारा (2) के खंड (ग) से खंड (ज) का लोप किया जाएगा ।"।

MGIPMRND—199RS(CRC)—01-08-2023.